न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस.

उनवान

दयाराम वगैरा बनाम सरकार

1. दयाराम पुत्र हरवल
2. लज्जाराम पुत्र हरवल जाति मीना निवासी कांकरैट तहसील सरमथुरा

--सायलान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर

--गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्याः- 192/2017

दिनांकः- 07.8.2018

निर्णय

प्रार्थना पत्र सायलान इस प्रकार पेश हुआ कि सायलान ख. नंबर गत 79 रकबा 0.08 विस्वा स्थित ग्राम ददरौनी तहसील सरमथुरा में हिस्सा 1/6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार है। जमाबन्दी ग्राम ददरौनी संवत् 2046-2049 के खाता संख्या 73 में इस आशय का अंकन मौजूद है। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा संवत् 2049 के बाद संवत् 2050-2053 की जो जमाबन्दी बनाई गई है उमें सहवन से सायलान के नाम का अंकन छोड दिया गया है। इससे सह खातेदारान के कुल 5/6 हिस्से दर्शाये गये है। सायलान के नाम की प्रविष्टि विलोपित कर दी गई है जो नई जमाबन्दी बनाते समय भूलवश हुआ है।

अतः सायलान द्वारा निवेदन किया गया है कि गत खसरा नबर 790 वर्तमान ख.नंबर 695 स्थित ग्राम ददरौनी तहसील सरमथुरा में खातेदार के कॉलम में संवत् 246-2049 की जमाबन्दी अनुसार प्रविष्टियाँ अंकित करा दिया जावे तथा सायलान को 1/6 भाग का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

इस प्रकार सायलान द्वारा दिये गये तथ्यों को पढा गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम ददरौनी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 75 में ख.नंबर 695 रकबा 0.10हैक्टेयर किस्म गै.मु.कुआ दर्ज है जिसमें दर्ज खातेदारों का कुल हिस्सा 5/6 बैठ रहा है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित गलती हुई है। जबकि ख.नंबर 695 के ख.नंबर 790 रकबा 08विस्वा जो जमाबन्दी ग्राम

ददरौनी संवत् 2046-2049 के खाता संख्या 73 में मौजूद है, में सायलान दयाराम व लज्जाराम का हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः आदेश दिये जाते है कि ग्राम ददरौनी के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 75 में ख.नं. 695 रकबा 0.10हैक्टेयर में सायलान दयाराम व लज्जाराम पिसरान हरवल जाति मीना निवासी कांकरैट तहसील सरमथुरा को हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा